कार्यालय प्रमुख अभियंता
म.प्र.लोक निर्माण विभाग,"निर्माण भवन"अरेरा हिल्स भोपाल
website : www.mppwd.gov.in email: pwdbhop@mp.nic.in
Ph:0755-2551316, Fax:0755-2556527

क्रमांक :- केन्द्रीय रजिस्ट्रेशन/2016/1720 भोपाल दिनांक :- 23/8/2016

प्रति,

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल/
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल/ग्रामीण यांत्रिकी विभाग भोपाल/परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग/
प्रबंध संचालक एम.पी.आर.डी.सी भोपाल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर.आर.डी.ए भोपाल/प्रबंध संचालक पुलिस हॉउसिंग कॉर्पोरेशन भोपाल/आयुक्त म.प्र. अधोसंरचना बोर्ड भोपाल/आयुक्त नगरीय प्रशासन भोपाल/

विषय :- म.प्र.शासन के मंत्रि-परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य मे कार्य विभागों के ठेकेदारों के पंजीयन हेतु नवीन 'केन्द्रीयकृत एकल पंजीयन प्रणाली' लागू करने बावत्।

संदर्भ :- म.प्र.शासन, लो.नि.वि. का आदेश क्र. एफ-1/19/बी/2010 दिनांक 17.8.2016

-0-

1. म.प्र.शासन, लो.नि.वि. के संदर्भित आदेश दिनांक 17.8.2016 से शासन के पूर्व आदेश दिनांक 29.3.2011 एवं 4.9.2011 मे संशोधन करते हुए वर्तमान मे लागू "अ,ब,स प्रणाली" को समाप्त कर समस्त ठेकेदारों को एक ही श्रेणी मे केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अंतर्गत पंजीकृत किये जाने की 'केन्द्रीयकृत एकल पंजीयन प्रणाली' लागू की गयी है जिसके अंतर्गत सुरक्षा निधि समाप्त करने, पंजीयन शुल्क रूपये 25000 रखे जाने तथा अभिलेखों के सत्य होने के संबंध मे स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र मान्य किये जाने के प्रावधान है।

2. शासन के उक्त नवीनतम आदेश दिनांक 17.8.2016 के परिपालन मे एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से ऑनलाईन पद्धति से "अ,ब,स प्रणाली" से किया जा रहा रजिस्ट्रेशन दिनांक 23.8.2016 से बंद कर दिया गया है तथा नवीन 'केन्द्रीयकृत एकल पंजीयन प्रणाली' मे ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की सुविधा पूर्व की भाँति एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 16.9.2016 से प्रारंभ की जावेगी।

3. वर्तमान मे "अ,ब,स प्रणाली" पंजीकृत ठेकेदार जिनके पंजीयन वैध है एवं नवीनीकरण की प्रोसिस मे थे किन्तु नवीन 'केन्द्रीयकृत एकल पंजीयन प्रणाली' लागू होने के कारण इनका नवीनीकरण इस प्रणाली के अंतर्गत अब नही किया जा सकता तथा इन्हें नवीन 'केन्द्रीयकृत

एकल पंजीयन प्रणाली' मे स्वीच–ओवर होना होगा। चूँकि वर्तमान मे 'केन्द्रीयकृत एकल पंजीयन प्रणाली' मे ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन हेतु सॉफ्टवेयर के संशोधन मे समय लगेगा अतः ठेकेदारों को निविदाएँ प्रस्तुत करने मे कोई कठिनाई न हो, इसलिये ऐसे ठेकेदारों को इस ट्रांजिशन पीरियड मे विभिन्न विभागों की निविदाओं मे भाग लेने की अनुमति दी जाना आवश्यक है।

अतः निवेदन है कि निविदाओं के संबंध मे उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना चाहेंगे।

सहपत्र :–शून्य

23/8/16

(इन्जी. आर. के. वैद्य)
मुख्य अभियंता (पंजीयन)
लोक निर्माण विभाग भोपाल म.प्र.

पृ. क्रमांक केन्द्रीय रजिस्ट्रेशन/2016/1721 भोपाल दिनांक :– 23/8/16.

प्रतिलिपि :–

1. समस्त मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, (म.प्र.)
2. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग (म.प्र.)
3. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (म.प्र.)
4. आई.टी.सेल कार्यालय, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग को यह पत्र वेबसाइट मे प्रदर्शित करने हेतु।

सहपत्र :–शून्य

(इन्जी. आर. के. वैद्य)
मुख्य अभियंता (पंजीयन)
लोक निर्माण विभाग भोपाल म.प्र.